जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट संख्या-38, दिनांक- 22.12.2025

थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा गैस कटर से ए0टी0एम0 में चोरी करने वाले 03 अन्तर्जनपदीय चोरों को किया गया गिरफ्तार कब्जे से गैस कटर, एलपीजी गैस सिलेण्डर , सब्बल , 02 अदद मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार, 01 अदद तमंचा व अन्य औजार बरामद किया गया-

जनपद में चोरी/लूट/छिनैती की घटनाओं पर रोकथाम लगाने व घटित घटनाओं का अतिशीघ्र अनावरण कर संलिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री अर्पित विजयवर्गीय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को विशेष अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 22.12.2025 को मैनुअल इंटेलीजेंस व डिजिटल डेटा के मदद से 03 शातिर अभियुक्तों 1. राहुल गौड पुत्र गयाप्रसाद गौड निवासी ग्राम खानपुर मसौधा थाना पूराकलंदर जनपद अयोध्या 2. राज कनौजिया पुत्र रामजनम निवासी ग्राम खानपुर मसौधा थाना पूराकलंदर जनपद अयोध्या 3. मोहित चौधरी पुत्र रामकुमार चौधरी निवासी ग्राम खानपुर मसौधा दर्शननगर कुशमहा थाना पूराकलंदर जनपद अयोध्या को अहमदपुर गौशाला तिराहे के पास से ग्राम अहमदपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद छोटा LPG गैस सिलेण्डर , 01 अदद बड़ा आक्सीजन सिलेण्डर मय गैस कटर मशीन, 01 अदद लोहे सब्बल, 01 अदद बडा पेचकस, 01 अदद प्लास, 01 अदद लोहे की रिंच, 01 अदद छोटा पाना, एक अदद लोहे की राड, 03 अदद ATM कार्ड, 02 अदद एण्ड्राइड मोबाईल, दो अदद पुराना गमछा व एक अदद ऊनी चादर के टुकड़े , 01 अदद तमंचा 12 बोर , 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व घटना में प्रयुक्त फर्जी / कूटरचित नम्बर प्लेट लगी हुई क्रेटा कार बरामद किया गया । अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना जैदपुर में 358/25 धारा 313/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि हम तीनो लोग आपस में दोस्त है और एक साथ चोरी करते है। अभियुक्त 1. राहुल ने बताया कि मैने दर्शन नगर में मछली पालने के लिए तालाब पट्टे पर लिया था जिस पर मेरे दोस्त अभियुक्तगण 2. राज व 3. मोहित चौधरी काम करते थे मछली के धन्धे में ज्यादा घाटा होने पर हम तीनो लोगो ने यूटूयुब से गैस कटर मशीन चलाने व ए0टी0म0 मशीन को गैस कटर से कटने के बारे में सीखा था, उसके बाद हम लोगों ने चोरी करने में प्रयुक्त सभी औजारों को विभिन्न स्थानों से खरीद कर अपनी क्रेटा कार का नम्बर बदलकर चोरी की घटनाएं को अंजाम दिया। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक-25/26.11.2025 की रात्रि में जनपद सुल्तानपुर थाना कूरेभार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुप्तारगंज में इण्डिया नम्बर 1 ए0टी0एम0 केबिन में तोड़फोड़ कर ए0टी0एम0 मशीन में चोरी करने की प्रयास की घटना स्वीकर की गई है, जिसके सम्बन्ध में थाना कुरेभार में मु0अ0सं0 288/2025 धारा 303(2)/62 बीएनएस बीएनएस पंजीकृत है तथा जनपद अयोध्या थाना पूराकलन्दर क्षेत्रान्तर्गत रानी बाजार में दिनांक 29/30.11.2025 की रात्रि में इण्डिया नम्बर 1 ए0टी0एम0 में ए0टी0एम0 मशीन को गैस कटर से क्षतिग्रस्त कर चोरी करने के प्रयास की घटना स्वीकार की गई है, जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 863/2025 धारा 62/305/331(4) बीएनएस पंजीकृत है,जनपद अयोध्या थाना इनायतनगर क्षेत्रान्तर्गत बारून बाजार में दिनांक 17.12.2025 की रात्रि में इण्डिया नम्बर 1 ए0टी0एम0 में ए0टी0एम0 मशीन को गैस कटर से क्षतिग्रस्त कर चोरी करने के प्रयास की घटना स्वीकर की गई,जिसके सम्बन्ध में दिनांक 21.12.2025 को थाना इनायतनगर मु0अ0सं0 614/2025 धारा 62/305/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।